

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ...B/1139/

जबलपुर, दिनांक 14/02/19

श्री अशोक कुमार बाल्मीक, जमादार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को रजिस्ट्री के कारण बताओ नोटिस क्रं. ए/4125 दिनांक 30.11.18 एवं बी/6827 दिनांक 29.12.18 में दिये गये निर्देशों की अवहेलना करते हुए स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में प्रस्तुत न करने के कारण तथा बिना अवकाश स्वीकृति के दिनांक 02.11.18, दिनांक 16.11.18, दिनांक 17.11.18 (3 दिन) को कार्यालय में अपने कर्तव्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण अवैतनिक स्वीकृत किया जाता है।

एवं

रजिस्ट्री कारण बताओ नोटिस क्रं. ए/4382 जबलपुर, दिनांक 20.12.18 के संबंध में प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण दिनांक 22.12.18 में गलत जानकारी प्रदान करते हुए अवकाश का उपभोग करने के कारण दिनांक 01.12.18 से 04.12.18 तक 4 दिन का अवैतनिक स्वीकृत किया जाता है।

सही/-

(सतीश चन्द्र राय)


रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक...B/1140/

जबलपुर, दिनांक 14/02/19

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार, स्था.द्व. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. अनु. अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. सहायक अवकाश/वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री अशोक कुमार बाल्मीक, जमादार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


13.2.19
(अजय पवार)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)